छोटे उद्यमी को आसान कर्ज दिलवाएगा प्रमाणीकरण

■ दिलाशा सेठ

नई दिल्ली। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट-जेडईडी) वाले उत्पाद तैयार करने की गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रमाणन योजना शुरू की है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इस प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया।

इसका मकसद इन इकाइयों को विनिर्माण से जुड़े मानकों को लागू कर गुणवत्ता में सुधार के साथ ऊर्जा उपयोग मामले में कुशल बनाना भी है। एमएसएमई मंत्रालय ने बयान में कहा कि जेडईडी प्रमाणन योजना गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन और लाभ बढ़ाने के साथ विनिर्माण के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करेगी।

इस योजना में कांस्य, रजत और स्वर्ण सहित प्रमाणन के तीन स्तर हैं। एमएसएमई किसी भी प्रमाणन स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणन व्यवस्था की लागत को लेकर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही उन एमएसएमई के लिए पांच प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी होगी जो मंत्रालय के स्फूर्ति या सूक्ष्म और लघु उद्यम- संकुल विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का भी हिस्सा हैं।

80% सब्सिडी मिलेगी

- प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों का खास सब्सिडी मिलेगी
- सब्सिडी राशि सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80 प्रतिशत होगी
- लघु एवं मझोली इकाइयों के लिए सब्सिडी क्रमश: 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगी
- महिला और एसटी-एससी को 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट
- 50 मानकों पर तीन श्रेणियों में दिया जाएगा प्रमाणीकरण
- विशेष प्रदर्शनियों के लिए हवाई किराये, माल भाड़े, स्टॉल शुल्क में मिलेंगी खास रियायतें
- सर्टिफाइड एमएसएमई को बैंक कर्ज में प्रोसेसिंग शुल्क, ब्याज दर और तरजीही कर्ज की सुविधा हासिल होगी